

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 20(5)त.शि./04-पार्ट I

जयपुर, दिनांक, 02 फरवरी, 2021

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय
भरतपुर।

विषय :- Approval of Minutes of meeting dated 25.01.2021 of Board of Governors.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय की बीओजी की बैठक दिनांक 25.01.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रम में महाविद्यालय का कोई टेक्यूप पैकेज नहीं है एवं अनुमादित कॉमन निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

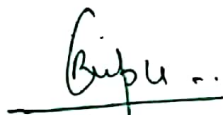
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसपीआईयू टेक्यूप-III जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

दिनांक 25.01.2021 को अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की टेक्यूप-3 के पैकेजेस के संबंध में हुई बी.ओ.जी. की बैठक के दौरान लिये गये कॉमन निर्णय :-

1. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर्स/कम्प्यूटर्स प्रयोगशालाओं से कम्प्यूनिटी को जोड़ते हुए सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के विद्यार्थियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किये जावें। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिये जावें। महाविद्यालयों में जो कम्प्यूटर्स/हार्डवेयर उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उन्हें राजकीय विद्यालयों में डोनेट/स्थानान्तरित करने की योजना सभी महाविद्यालयों द्वारा आगामी 15 दिवस में विभाग को भेजी जावें।
2. स्टेट प्रोजेक्ट एड्मिनिस्ट्रेट, टेक्यूप-3, जयपुर द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की Performance Audit एवं Academic Audit की जावें एवं आगामी एक माह में रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रस्तुत की जावे।
3. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को हार्डवेयर कय के स्थान पर Data Analytics , इत्यादि के High end skill के प्रशिक्षण हेतु सॉफ्टवेयर के कय पर फोकस किया जाना चाहिये, ताकि विद्यार्थियों की Employability बढ़े एवं महाविद्यालय को राजस्व भी प्राप्त हो ।
4. आगामी बीओजी बैठक में प्रत्येक महाविद्यालय को सम्पूर्ण Review किया जावेगा। यह बैठक महाविद्यालय परिसर में भी रखी जा सकती है।
5. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्राचार्यों के नियमित नियुक्ति के सुझाव पर बैठक में अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 6 (1)त.शि./2018 दिनांक 15/1/2021 को प्राचार्यों की भर्ती की नवीन गाइडलाईन जारी कर दी गयी है। इन भर्ती गाइडलाईन का बीओजी द्वारा Adoption किया गया।
6. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में टेक्यूप-3 के अन्तर्गत डिजिटल स्टूडियों की स्थापना हेतु बैठक में उपस्थित सदस्यों के सुझाव उपरान्त माननीय मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा ने संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा को एक टीम बनाकर एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर/चण्डीगढ़ की विजिट हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये ।
7. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में टेक्यूप-3 परियोजना की I.O.C. मद के अन्तर्गत नियमानुसार अधिकतम अवधि के लिए उपकरणों, इत्यादि की A.M.C. हेतु अनुमत किया गया।
8. महाविद्यालयों की सोसायटी के अन्तर्गत 20 लाख से ऊपर के कार्यदेश दिये जाने से पूर्व प्रकरण माननीय प्रेसीडेंट महोदय को अवलोकन कराया जावे।



Member Secretary
Govt. Engg. College Bharatpur Society